संख्या- 3/2017/एस-3-251/दस-2017-100(10)/2009

प्रेषक,

राज रतन,

उपसचिव,

उ0प्र0शासन ।

सेवा में,

निदेशक,

कोषागार,उ0प्र0,

जवाहर भवन,लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 22 मार्च, 2017

विषय:-ओरेकल ए0टी0एस0 लाइसेंस एवं रेड हैट सब्सक्रिप्शन के साफ्टवेयर के रिन्युवल के क्रय के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3564/कम्प्यू0/150/मिशन मोड प्रोजक्ट-।।।(2)/को0 नि0/2016, दिनांक 20 फरवरी,2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में पूर्व में किये गये रिन्युवल की अवधि समाप्ति की तिथि 30-07-2016 के उपरान्त दिनांक 31-07-2016 से 30-11-2018 तक के लिए यू0पी0डेस्को0, लखनऊ से ओरेकल ए0टी0एस0 लाइसेन्स के रिन्युवल के क्रय किये जाने हेतु धनराशि रूपये 3,30,84,231.00 (रूपये तीन करोड़ तीस लाख चौरासी हजार दो सौ इकतीस मात्र) एवं निक्सी नई दिल्ली से रेड हैट सब्सक्रिप्शन के रिन्युवल को क्रय किये जाने हेतु रू0 21,54,971.00 (रूपये इक्कीस लाख चौवन हजार नौ सौ इकहत्तर मात्र) अर्थात कुल रूपया 3,52,39,202.00 (रूपये तीन करोड़ बावन लाख उन्तालीस हजार दो सौ दो मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करते हैं कि विभागाध्यक्ष तकनीकी विशिष्टियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- निदेशक, कोषागार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि ओरेकल ए0टी0एस0 का भुगतान समय से न होने पर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी की जिम्मेदारी की जाय तथा भविष्य में निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण कर लिया जाय सुनिश्चित करेंगे।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-63 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-097-खजाना स्थापना-03-मुख्य-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(राज रतन)
उपसचिव।

संख्या- 3/2017 /एस-3-251(1)/दस-2017-तदद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद, महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- अनुभागीय गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(राज रतन)
उपसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in